उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार, पिन कोड–249404
website-psc.uk.gov.in

संख्या :: 327/04/E-2/DR/CIVIL JUDGE/2024-25 दिनाँक :: 16 फरवरी, 2026

विस्तृत विज्ञप्ति
उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) मुख्य परीक्षा–2023

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या–04/E-2/DR/Civil Judge/2024-25 दिनांक 16.05.2025 द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा–2023 हेतु विज्ञापित 08 पदों के सापेक्ष प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन दिनांक 31.08.2025 को किया गया था जिसका परीक्षा परिणाम दिनांक 31.10.2025 को घोषित किया गया था।

2. रिट याचिका सं0 498 (एस0बी0)/2025 एवं 499 (एस0बी0)/2025 में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2025 के आलोक में मा0 आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा का परीक्षा परिणाम निरस्त करते हुए दिनांक 19 जनवरी 2026 से दिनांक 22 जनवरी 2026 तक निर्धारित मुख्य परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के निर्णय दिनांक 18.12.2025 के क्रम में प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परीक्षा परिणाम विज्ञप्ति संख्या–289/11/CJ(JD)/G-2/2025-26, दिनांक 22.01.2026 द्वारा घोषित किया गया है जिसमें कुल 85 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।

3. उक्त संशोधित परीक्षा परिणाम में सफल घोषित 08 नये अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। इस हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in/pscuk.net.in** पर दिये गये लिंक का प्रयोग करते हुए निर्धारित **अंतिम तिथि 05.03.2026** तक मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करें।

4. प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व घोषित परीक्षा परिणाम दिनांक 31.10.2025 में सफल घोषित ऐसे अभ्यर्थी जो संशोधित परीक्षा परिणाम दिनांक 22.01.2026 में भी सफल घोषित हुए हैं एवं जिनके द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पूर्व में जमा कर दिया गया है, को पुनः शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

5. प्रश्नगत मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर के परीक्षा केन्द्र **'परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार'** में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् हैं–

मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा करने की **प्रारम्भ तिथि –**	18 फरवरी, 2026
मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से जमा करने की **अन्तिम तिथि –**	05 मार्च, 2026 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

6. प्रश्नगत् मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों द्वारा Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा किया जाना है–

क्र0 सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 250	रू0 16.36	रू0 266.36
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 250	रू0 16.36	रू0 266.36
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रू0 250	रू0 16.36	रू0 266.36
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	रू0 100	रू0 16.36	रू0 116.36
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	रू0 100	रू0 16.36	रू0 116.36
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग)	कोई शुल्क नहीं	रू0 16.36	रू0 16.36

नोटः 1. उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड कुशल खिलाडी/उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2. उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या– 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं0– 232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु 16.36 देय होगा।

7. मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्धारित **अंतिम तिथि 05.03.2026** तक परीक्षा शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन विज्ञापन के बिन्दु संख्या–16 के आलोक में निरस्त कर दिया जाएगा।

8. प्रश्नगत परीक्षा के इस चरण में मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी अभिलेख/प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं हैं। मुख्य परीक्षा के उपरांत साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पृथक से समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति के माध्यम से आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति सहित समस्त अनिवार्य अभिलेख मंगाये जाने हेतु सूचित किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति सुरक्षित रखें।

-sd-
(अशोक कुमार पाण्डेय)
सचिव।